

18-6-2026 10:30 AM

मध्यस्थता केन्द्र वीकर से मध्यस्थता
रिपोर्ट जरिये डे मेल जाय होने पर
पत्रावली पेश हुई। मध्यस्थता सफल
होने संबंधी रिपोर्ट जाय हुई है।
पक्षकारान सुमन व नारायण मय
अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान की
ओर से आवेदन पेश कर निवेदन
किया गया कि पक्षकारान के मध्य
राजीनामा हो चुका है। प्रकरण को
बंद करवाना बही चाहते हैं।

18/6/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
केब जिला वीकर (राज.)

सुमन

~~Raj~~
रज. 21 (क्या)

नारायण

4 एचएच
कारनाम
(रज. 21 (क्या))

सुना गया। मध्यस्थता कन्ड स
पाह रिपोर्ट का आवलोकन किया
गया। रिपोर्ट शामिल पत्रावली हो।
आवेदन व मध्यस्थता रिपोर्ट के
आधार पर प्रकरण विद्वा करने
की अनुमति प्रदान की जाती है।
प्रकरण विद्वा के आधार पर जारी किया जाता है।
पत्रावली के सल सुमार होकर
बाद तकमिल दायिल दफतर हो।

५/६/२६
न्यायिक मजिस्ट्रेट
श्रीद प्रियतम श्रीराम राय